

Commissioner of State Tax Chhattisgarh, Raipur

Notification

Raipur, dated : - 8 AUG 2017

No. (03) - In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, read with section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Act, 2017 (7 of 2017), on the recommendations of the Council, it is specified that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial Number	Month	Date for filing of GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	20 th August, 2017
2.	August, 2017	20 th September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of August, 2017.

(Sangeetha .P)
Commissioner of State Tax
Chhattisgarh, Raipur

राज्य कर आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक :- 8 AUG 2017

क्रमांक (०३) - छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन 2017 का) की धारा 168 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों या इससे पूर्व दी जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं०	मास	जीएसटीआर-3ख फाइल किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1	जुलाई, 2017	20 अगस्त, 2017
2	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना 8 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी ।



(संगीता पी.)

राज्य कर आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर